भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *255
06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न
एफसीआई द्वारा कच्चा चावल उठाना

*255. **श्री प्रदीप पुरोहितः**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख तक ओडिशा में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में सेला और कच्चे चावल के उपलब्ध भंडार की वास्तविक मात्रा कितनी है;
(ख) क्या एफसीआई द्वारा प्रतिमाह लक्ष्य से बहुत कम मात्रा में चावल उठाया गया है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है;
(घ) क्या सरकार लंबे समय तक एफसीआई के गोदामों में पड़े चावल को खराब होने से बचाने के लिए कोई तात्कालिक उपाय कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे चावल के उठाव और वितरण को प्राथमिकता देने हेतु क्या कार्य-योजना है जो खराब हो सकता है;
(ङ) क्या सरकार की इस कार्य हेतु अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार भविष्य में ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए ओडिशा में अस्थायी गोदाम बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 06.08.2025 को उत्तरार्थ "एफसीआई द्वारा कच्चा चावल उठाना" विषय पर तारांकित प्रश्न संख्या *255 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): दिनांक 01.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार ओडिशा में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में उपलब्ध उसना और कच्चे चावल के स्टॉक की कुल मात्रा निम्नानुसार है:

कच्चा चावल – 71691 टन

उसना चावल – 380535 टन

(ख) से (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने वर्ष 2025-26 (जून 2025 तक) में योजनागत 8.9 लाख टन की तुलना में 6.19 लाख टन चावल का उठान/आपूर्ति की है, जिससे योजनागत उठान का 77% प्राप्त हुआ है। ओडिशा में खाद्यान्न की उठान/आपूर्ति शेष भारत के समान है। ओडिशा 90% से अधिक उसना चावल का उत्पादन करता है, जिसका उपभोग सामान्यतः पड़ोसी राज्यों अर्थात बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में किया जाता है, जहां ये राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) की अधिकांश आवश्यकताओं को डीसीपी पद्धति के तहत स्वयं के खरीदे गए चावल से पूरा करते हैं और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से इनका उठान माह-दर-माह भिन्न होता रहता है, तदनुसार ओडिशा से उठान/संचालन प्रभावित रहता है। बाढ़, टर्मिनलों पर अत्यधिक भीड़ के कारण रेलवे प्रतिबंध आदि जैसी अन्य प्रचालनात्मक बाधाएं मासिक संचलन योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन को प्रभावित कर रही हैं। भारत सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि प्रचालनात्मक बाधाओं को कम किया जाए ताकि खाद्यान्नों के योजनानुसार उठान को सुनिश्चित किया जा सके।

(घ): भारत सरकार ने खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए एफसीआई गोदामों में पड़े चावल को खराब होने से बचाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भंडारण पद्धतियों को उचित वैज्ञानिक संहिता अपनाकर खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

(ii) खाद्यान्नों में फर्श से नमी आने से रोकने के लिए पर्याप्त डनेज सामग्री जैसे लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की चद्दरों का उपयोग किया जाता है।

(iii) सभी गोदामों में भंडारित अनाज के कीड़ों के नियंत्रण के लिए प्रधूमन कवर, नॉइलान की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक प्रदान किए जाते हैं।

(iv) भंडारित अनाज के कीड़ों के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधक (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर उपचार (प्रधूमन) नियमित रूप से और समय पर किए जाते हैं।

...2/-

(v) चूहों के नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

(vi) पारगमन भंडारण/'कवर एवं प्लिंथ' (सीएपी) भंडारण में खाद्यान्नों का भंडारण ऊंचे प्लिंथों पर किया जाता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी की क्रेटों का उपयोग किया जाता है। चट्टों (स्टेक्स) को कम घनत्व वाले विशिष्ट रूप से तैयार किए गए काले रंग के वाटर प्रूफ पॉलीथीन कवरों से कवर किया जाता है और नॉइलान की रस्सियों/जालों से बांध दिया जाता है।

(vii) अर्हक एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों के नियमित रूप से आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं। खाद्यान्नों की गुणवत्ता की निगरानी विभिन्न स्तरों पर चेक और सुपर-चेक प्रणाली के माध्यम से नियमित अंतराल पर की जाती है।

(viii) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' (एफआईएफओ) सिद्धांत का यथासंभव पालन किया जाता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधिक भंडारण से बचा जा सके।

(ix) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल कवर किए हुए रेल वैगनों का उपयोग किया जाता है ताकि पारगमन (ट्रांजिट) के दौरान क्षति से बचा जा सके।

(x) स्टॉक की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने और क्षति को कम करने के लिए जिला, क्षेत्र और अंचल स्तर पर क्षति निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। यदि कोई लापरवाही की सूचना मिलती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

(xi) छत में लीकेज करने वाले सभी स्थानों की समय-समय पर पहचान और मरम्मत की जाती है।

(xii) गोदाम परिसरों में नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाती है।

(xiii) यह सुनिश्चित करना कि गोदामों के अंदर कोई रिसाव (सीपेज) तो नहीं है।

(xiv) परिसर में पानी का जमाव नहीं होने देना।

(ड.) और (च): भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतराल आकलन के आधार पर अखिल भारत स्तर पर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

(i) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण।

(ii) निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना।

...3/-

(iii) केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भंडारण एवं गोदाम"।

(iv) केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।

(v) निजी वेयरहाउसिंग योजना (पीडब्ल्यूएस)।

(vi) परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण।

(vii) कवर्ड और प्लिन्थ (सीएपी) हाईरिंग योजना-2025।

(viii) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 15 वर्षों की लंबी गारंटी अवधि के साथ संशोधित पीईजी योजना।

वर्तमान में ओडिशा राज्य में अस्थायी गोदामों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

****